



This is a digitally signed Gazette, to verify click here.

<http://rajpatrahimachal.nic.in>

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शुक्रवार, 01 मई, 2015 / 11 वैशाख, 1937

हिमाचल प्रदेश सरकार

लोक निर्माण विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 30 अप्रैल, 2015

संख्या:पी.बी.डब्ल्यू(बी)एफ(5)4/2015.—यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामत गांव सारीवासा, तहसील रोहड़ू, जिला शिमला हिमाचल प्रदेश में वडियारा-जांगला -सारीवासा सड़क के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद् द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा-11 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमत: अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के 30 दिनों की अवधि के भीतर भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग (शि0क्षे0), विन्टर फिल्ड, शिमला के समक्ष लिखित रूप से आपत्ति दायर कर सकता है।

विवरणी

जिला	तहसील	गांव	खसरा नम्बर	क्षेत्र(है0)
शिमला	रोहडू	सारीवासा	1507	0-18-76
		कुल जोड	किता-1	0-18-76

आदेश द्वारा
हस्ताक्षरित / -
अति० मुख्य सचिव(लोक निर्माण)।

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171001

NOTIFICATION

Shimla, the 20th April, 2015

No. HHC/GAZ/ 14-332/2013.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant expost facto sanction of 02 days' commuted leave for 25.3.2015 & 26.3.2015 in favour of Shri Vishal Kaundal, Civil Judge (Jr. Division)-cum-JMIC, Arki, District Solan, H.P.

Certified that Shri Vishal Kaundal has joined the same post and at the same station from where he had proceeded on leave after expiry of the above period of leave.

Also certified that Shri Vishal Kaundal would have continued to hold the post of Civil Judge (Jr. Division)-cum-JMIC, Arki, District Solan, H.P., but for his proceeding on leave for the above period.

By order,
Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA 171 001**NOTIFICATION***Shimla, the 17th April, 2015*

No. HHC/GAZ/14-312/2010.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant ex post facto sanction of 02 days commuted leave for 26.2.2015 and 27.2.2015 in favour of Shri Amardeep Singh, Civil Judge (Junior Division)-cum-JMIC, Baijnath, District Kangra, H.P.

Certified that Shri Amardeep Singh has joined the same post and at the same station from where he proceeded on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Shri Amardeep Singh would have continued to hold the post of Civil Judge (Junior Division)-cum-JMIC, Baijnath, District Kangra, H.P. but for his proceeding on leave for the above period.

By order,
Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH SHIMLA -171001**NOTIFICATION***Shimla, the 28th April, 2015*

No.HHC/GAZ/ 14-290/2006-I.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant 12 days' earned leave w.e.f. 27.04.2015 to 08.05.2015 with permission to prefix Sunday falling on 26.04.2015 and to suffix Second Saturday & Sunday falling on 09.05.2015 & 10.05.2015 in favour of Sh. Sidharth Sarpal, Civil Judge (Junior Division)-cum-JMIC, Rajgarh, H.P.

Certified that Sh. Sidharth Sarpal is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Sh. Sidharth Sarpal would have continued to hold the post of Civil Judge (Junior Division)-cum-JMIC, Rajgarh, H.P., but for his proceeding on leave for the above period.

By order,
Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA – 171001**NOTIFICATION***Shimla, the 20th April, 2015*

No.HHC/Admn.6 (23)/74-XV.—Hon'ble the Chief Justice in exercise of the powers vested in him under Rule 2 (32) of Chapter 1 of H.P. Financial Rules, 2009 has been pleased to declare

Civil Judge (Jr. Division)-cum-JMIC (II), Hamirpur, H.P. as Drawing and Disbursing Officer, in respect of the Court of Civil Judge (Sr. Division)-cum-ACJM, Hamirpur and also the Controlling Officer for the purpose of salary, T.A. etc. in respect of establishment attached to the aforesaid Courts under Major Head “2014-Administration of Justice” with immediate effect till Smt. Gurmeet Kaur, Civil Judge (sr. Division)-cum-ACJM, Hamirpur returns from leave.

By order,
Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA - 171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 17th April, 2015

No.HHC/Admn.16 (22)75-IV.—Hon’ble the Chief Justice, in exercise of the powers vested in him U/S 139(b) of the Code of Civil Procedure, 1908, U/S 297(b) of the Code of Criminal Procedure, 1973 and Rule 5(vi) of the H.P. Oath Commissioners (Appointment & Control) Rules, 2007 has been pleased to appoint Sh. Ravideep Singh Hinzrai, Advocate, Paonta Sahib as Oath Commissioner at Paonta Sahib, H.P. for a period of two years, with immediate effect, for administering oaths and affirmations on affidavits to the deponents, under the aforesaid Codes and Rules.

By order,
Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA - 171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 16th April, 2015

No.HHC/Admn.16 (20)75-II.—Hon’ble the Chief Justice, in exercise of the powers vested in him U/S 139(b) of the Code of Civil Procedure, 1908, U/S 297(b) of the Code of Criminal Procedure, 1973 and Rule 5(vi) of the H.P. Oath Commissioners(Appointment & Control) Rules, 2007 has been pleased to appoint Sh. Rohit Thakur, Advocate, Ghumarwin as Oath Commissioner at Ghumarwin for a period of two years with immediate effect for administering oaths and affirmations on affidavits to the deponents under the aforesaid Codes and Rules.

By order,
Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA – 171001

NOTIFICATION

Shimla, the 28th April, 2015

No.HHC/Admn.6 (23)/74-XV.—Hon'ble the Chief Justice in exercise of the powers vested in him under Rule 2 (32) of Chapter 1 of H.P. Financial Rules, 2009 has been pleased to declare Civil Judge (Jr. Division)-cum-JMIC, Nahan, H.P. as Drawing and Disbursing Officer, in respect of the Court of Civil Judge (Jr. Division)-cum- JMIC, Rajgarh and also the Controlling Officer for the purpose of salary, T.A. etc. in respect of establishment attached to the aforesaid Court under Major Head "2014-Administration of Justice" during earned leave period of Sh. Sidharth Sarpal, Civil Judge (Jr. Division)-cum-JMIC, Rajgarh, H.P. w.e.f. 27.04.2015 to 08.05.2015 or until he returns from leave.

By order,
Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA – 171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 28th April, 2015

HHC/Admn.2(116)/2012.—In supersession of this Registry Notification No. HHC/Admn.2(115)12-41099-110 dated 24.12.2014, read with H.P. Government Notification No. Fin(C)-A(3)-2/2013 dated 24.3.2015, Sh. Rajinder Singh Chandel, Superintendent Grade-I office of the District and Sessions Judge, Una shall stand retired from service on and w.e.f. 30.4.2015(A.N.)

By order,
Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA -171 001

NOTIFICATION

Dated: 20th April, 2015

No.HHC/ Admn.3(284)/90-I.—04 days earned leave on and with effect from 20.04.2015 to 24.04.2015, with permission to prefix Sunday falling on 19.04.2015, is hereby sanctioned in favour of Shri Piar Chand, Deputy Registrar of this Registry.

Certified that Shri Piar Chand is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave after the expiry of the above leave period.

Certified that Shri Piar Chand would have continued to officiate the same post of Deputy Registrar but for his proceeding on leave.

By order,
Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA -171 001

NOTIFICATION

Dated: the 28th April, 2015

No.HHC/Estt.3(406)/95-I.—06 days earned leave on and with effect from 27.04.2015 to 02.05.2015, with permission to prefix Sunday falling on 26.04.2015, and suffix Sunday falling on 03.05.2015, is hereby sanctioned in favour of Shri Gopal Swaroop Kaushal, Secretary of this Registry.

Certified that Shri Gopal Swaroop Kaushal is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave after the expiry of the above leave period.

Certified that Shri Gopal Swaroop Kaushal would have continued to officiate the same post of Secretary but for his proceeding on leave.

By order,
Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA -171 001

NOTIFICATION

Dated: the 18th April, 2015

No.HHC/Admn.3(394)/95-I.—14 days earned leave on and with effect from 20.03.2015 to 02.04.2015, with permission to suffix Gazetted holiday on 03.04.2015, is hereby sanctioned, ex post-facto, in favour of Smt.Santosh Negi, Court Master of this Registry.

Certified that Smt.Santosh Negi has joined the same post and at the same station from where she had proceeded on leave after the expiry of the above leave period.

Certified that Smt. Santosh Negi would have continued to officiate the same post of Court Master but for her proceeding on leave.

By order,
Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA – 171 001**NOTIFICATION***Shimla, the 28th April, 2015*

HHC/Admn.2(115)/2012.—In supersession of this Registry Notification No. HHC/Admn.2(115)12-39208-19 dated 2/5.12.2014. read with H.P. Government Notification No. Fin(C)-A(3)-2/2013 dated 24.3.2015, Sh. Suresh Thakur, Superintendent Grade-I office of District and Sessions Judge, Kullu shall stand retired from service on and w.e.f. 30.4.2015(A.N.)

By order,
Sd/-
Registrar General.

समक्ष तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, सन्धोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

श्री प्रशोतम दास पुत्र श्री रान्झा, निवासी कच्छाली, डाकघर व तहसील सन्धोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)
... प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

... फरीकदोयम।

प्रार्थी श्री प्रशोतम दास पुत्र श्री रान्झा, निवासी कच्छाली, डाकघर व तहसील सन्धोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने शपथ-पत्र सहित आवेदन किया है कि उसका वास्तविक नाम प्रशोतम दास है परन्तु राजस्व अभिलेख महाल दतवाड, तहसील सन्धोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) में प्रार्थी का नाम प्रशोतम लिखा गया है जो गलत है अब राजस्व अभिलेख में दुरुस्ती हेतु आवेदन किया है।

अतः इस इशतहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम दुरुस्ती दर्ज करने बारा कोई उजर-एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी दिनांक 25-5-2015 को 10.00 बजे इस अदालत में हाजिर होकर अपना उजर पेश कर सकता है। बसूरत गैरहाजिरी एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दुरुस्ती दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

यह इशतहार आज दिनांक 22-4-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-
तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
सन्धोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, चड़गांव, जिला शिमला (हि0 प्र0)

श्रीमती सुषमा देवी पुत्री स्व0 श्री रघुदास, निवासी जागला, तहसील चड़गांव, जिला शिमला (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

आवेदिका श्रीमती सुषमा देवी पुत्री स्व० श्री रघुदास, निवासी जागला, तहसील चड़गांव, जिला शिमला (हि० प्र०) ने इस कार्यालय में दिनांक 31-3-2015 को राजस्व कागजात में नाम की दुरुस्ती हेतु दरखास्त गुजारी है। दरखास्त के साथ आवेदिका ने राशन कार्ड, आधार कार्ड, पहचान पत्र व नकल परिवार रजिस्टर की कापी संलग्न की है। दस्तावेजों के अवलोकन करने से पाया गया कि आवेदिका का नाम राजस्व रिकॉर्ड में गुड्डी देवी पुत्री स्व० श्री रघुदास दर्ज है। लेकिन संलग्न किये गये दस्तावेजों में आवेदिका का नाम श्रीमती सुषमा देवी पुत्री स्व० श्री रघुदास है। आवेदिका परिवार रजिस्टर के अनुसार अपना नाम राजस्व रिकॉर्ड में गुड्डी देवी की जगह श्रीमती सुषमा देवी पुत्री रघुदास, निवासी नण्डला दर्ज करवाना चाहती है। जिस सन्दर्भ में आवेदिका द्वारा शपथ पत्र भी संलग्न किया है। इसलिए आम जनता को इस नोटिस द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त नाम की दुरुस्ती में किसी को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 28-5-2015 को इस अदालत में आकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा राजस्व रिकॉर्ड में गुड्डी देवी के स्थान पर सुषमा देवी नाम दर्ज करने के आदेश पारित किए जाएंगे।

आज दिनांक 24-4-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
चड़गांव, जिला शिमला (हि० प्र०)।

**In the Court of Shri G. C. Negi, H.A.S., Sub-Divisional Magistrate, Shimla (Urban)
District Shimla (H. P.)**

Smt. Sandhya Kumari w/o Shri Vinod Kumar, r/o Mehta Niwas, Engine Ghar, Sanjauli,
Shimla, Himachal Pradesh . . Applicant.

Versus

General Public

. . Respondent.

Application under section 13 (3) of Birth and Death Registration Act, 1969.

Whereas Smt. Sandhya Kumari w/o Shri Vinod Kumar, r/o Mehta Niwas, Engine Ghar, Sanjauli, Shimla, Himachal Pradesh has preferred an application to the undersigned for the registration of name & date of birth of her son namely **Anurag Giri**—date of birth —9-1-1991 in the record of Municipal Corporation, District Shimla (H.P.).

Therefore, by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection for the entry as to date of birth mentioned above, may submit his/her objection in writing in this court from one month from the publication of this proclamation failing which no objection will be entertained after expiry of date and will be decided accordingly.

Given under my hand and seal of the court on this 27th day of April, 2015.

Seal.

G. C. NEGI,
Sub-Divisional Magistrate,
Shimla (Urban), District Shimla, Himachal Pradesh.

ब अदालत श्री आर० डी० हरनोट, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि० प्र०)

श्री नितिश गुप्ता पुत्र श्री गोविन्द राम, निवासी सैनवाला, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि० प्र०)

बनाम

आम जनता

श्री नितिश गुप्ता पुत्र श्री गोविन्द राम, निवासी सैनवाला, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि० प्र०) ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत आवेदन-पत्र प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसकी जन्म तिथि 21-10-1990 है, का नाम ग्राम पंचायत सैनवाला, तहसील नाहन, जिला सिरमौर के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 22-5-2015 को सुबह दस बजे अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करे। बसूरत दीगर नितिश गुप्ता की जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 6-4-2015 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

आर० डी० हरनोट,
कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार),
नाहन, जिला सिरमौर (हि० प्र०)।

ब अदालत श्री आर० डी० हरनोट, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि० प्र०)

श्री ओम प्रकाश पुत्र श्री दीनानाथ, निवासी बनकला, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि० प्र०)

बनाम

आम जनता

श्री ओम प्रकाश पुत्र श्री दीनानाथ, निवासी बनकला, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि० प्र०) ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत आवेदन-पत्र प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसकी पुत्री दीपा की जन्म तिथि 7-1-1998 है, का नाम ग्राम पंचायत बनकला, तहसील नाहन, जिला सिरमौर के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 22-5-2015 को सुबह दस बजे अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करे। बसूरत दीगर दीपा की जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 6-4-2015 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

आर० डी० हरनोट,
कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार),
नाहन, जिला सिरमौर (हि० प्र०)।

ब अदालत श्री आर० डी० हरनोट, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि० प्र०)

श्री बालक राम पुत्र स्व० श्री दुर्गाराम, निवासी नया बाजार निकट फाऊण्ड्री की चक्की नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि० प्र०)।

बनाम

आम जनता

श्री बालक राम पुत्र स्व० श्री दुर्गाराम, निवासी नया बाजार नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि० प्र०) ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत आवेदन-पत्र प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसकी पत्नी श्रीमती राजरानी की मृत्यु 17-1-2000 को हुई है, का नाम नगर पालिका परिषद् नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 22-5-2015 को सुबह दस बजे अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करे। बसूरत दीगर श्रीमती राजरानी की मृत्यु तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 6-4-2015 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

आर० डी० हरनोट,
कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार),
नाहन, जिला सिरमौर (हि० प्र०)।

ब अदालत श्री आर० डी० हरनोट, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि० प्र०)

श्रीमती कैलाश रानी पत्नी स्व० श्री ब्रह्मदास शर्मा, निवासी म० नं० 158/2 होस्पिटल राऊण्ड नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि० प्र०)।

बनाम

आम जनता

श्रीमती कैलाश रानी पत्नी स्व० श्री ब्रह्मदास शर्मा, निवासी म० नं० 158/2 होस्पिटल राऊण्ड नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि० प्र०) ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसके पुत्र दीपक शर्मा की जन्म तिथि 5-1-1960 है, का नाम नगर पालिका परिषद् नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 22-5-2015 को सुबह दस बजे अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करे। बसूरत दीगर दीपक शर्मा की जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 8-4-2015 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

आर० डी० हरनोट,
कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार),
नाहन, जिला सिरमौर (हि० प्र०)।

ब अदालत श्री आर० डी० हरनोट, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि० प्र०)

श्रीमती सलमती पत्नी श्री निसार मोहम्मद, निवासी ग्राम खैरी, डा० त्रिलोकपुर, नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि० प्र०)।

बनाम

आम जनता

श्रीमती सलमती पत्नी श्री निसार मोहम्मद, निवासी ग्राम खैरी, डा० त्रिलोकपुर, नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि० प्र०) ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसके पुत्र मो० आरिफ व आशिक मो० की जन्म तिथियां क्रमशः 5-12-1993 व 31-8-1994 है, के नाम ग्राम पंचायत काला अम्ब, तहसील नाहन, जिला सिरमौर के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 22-5-2015 को सुबह दस बजे अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करे। बसूरत दीगर मो० आरिफ व आशिक मो० की जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 8-4-2015 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

आर० डी० हरनोट,
कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार),
नाहन, जिला सिरमौर (हि० प्र०)।

ब अदालत श्री आर० डी० हरनोट, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि० प्र०)

श्री गुरुशरण सिंह पुत्र श्री राम सिंह, निवासी वार्ड नं० 6, पुलिस कलोनी नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि० प्र०)।

बनाम

आम जनता

श्री गुरुशरण सिंह पुत्र श्री राम सिंह, निवासी वार्ड नं० 6, पुलिस कलोनी नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि० प्र०) ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत आवेदन-पत्र प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसकी पुत्री जसप्रीत कौर की जन्म तिथि 7-7-1996 है, का नाम नगर पालिका परिषद् नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 22-5-2015 को सुबह दस बजे अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करे। बसूरत दीगर जसप्रीत कौर की जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 10-4-2015 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

आर० डी० हरनोट,
कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार),
नाहन, जिला सिरमौर (हि० प्र०)।

ब अदालत श्री आर० डी० हरनोट, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि० प्र०)

श्री नागेन्द्र सिंह पुत्र श्री चत्तर सिंह, निवासी कटोरड, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि० प्र०)

बनाम

आम जनता

श्री नागेन्द्र सिंह पुत्र श्री चत्तर सिंह, निवासी कटोरड, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि० प्र०) ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसके पुत्र विनोद कुमार की जन्म तिथि 5-6-1993 है, का नाम ग्राम पंचायत बनेठी, तहसील नाहन, जिला सिरमौर के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 22-5-2015 को सुबह दस बजे अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करे। बसूरत दीगर विनोद कुमार की जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 16-4-2015 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

आर० डी० हरनोट,
कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार),
नाहन, जिला सिरमौर (हि० प्र०)।

ब अदालत श्री आर० डी० हरनोट, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि० प्र०)

श्री दर्शन लाल पुत्र श्री दुन्गू राम, निवासी ग्राम मझोली, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि० प्र०)

बनाम

आम जनता

श्री दर्शन लाल पुत्र श्री दुन्गू राम, निवासी ग्राम मझोली नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि० प्र०) ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत आवेदन-पत्र प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसके पुत्र नवीन तौमर की जन्म तिथि 17-10-1989 है, का नाम ग्राम पंचायत नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 22-5-2015 को सुबह दस बजे

अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करे। बसूरत दीगर नवीन तौमर की जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 17-4-2015 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

आर० डी० हरनोट,
कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार),
नाहन, जिला सिरमौर (हि० प्र०)।

ब अदालत श्री आर० डी० हरनोट, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि० प्र०)

श्री गोपाल सिंह पुत्र श्री नन्द लाल, निवासी ग्राम व डा० सतिवाला, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि० प्र०)।

बनाम

आम जनता

श्री गोपाल सिंह पुत्र श्री नन्द लाल, निवासी ग्राम व डा० सतिवाला, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि० प्र०) ने अधिन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत आवेदन-पत्र प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसके पुत्र अभिषेख की जन्म तिथि 9-2-2002 है, का नाम ग्राम पंचायत सतिवाला, तहसील नाहन, जिला सिरमौर के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 22-5-2015 को सुबह दस बजे अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करे। बसूरत दीगर अभिषेख की जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 17-4-2015 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

आर० डी० हरनोट,
कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार),
नाहन, जिला सिरमौर (हि० प्र०)।

ब अदालत श्री आर० डी० हरनोट, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि० प्र०)

श्री गोपाल सिंह पुत्र श्री नन्द लाल, निवासी ग्राम व डा० सतिवाला, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि० प्र०)।

बनाम

आम जनता

श्री गोपाल सिंह पुत्र श्री नन्द लाल, निवासी ग्राम व डा० सतिवाला, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि० प्र०) ने अधिन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत आवेदन-पत्र प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसकी पुत्री प्रियंका की जन्म तिथि 22-5-2003 है, का नाम ग्राम पंचायत सतिवाला, तहसील नाहन, जिला सिरमौर के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 22-5-2015 को सुबह दस बजे अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करे। बसूरत दीगर प्रियंका की जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 17-4-2015 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

आर० डी० हरनोट,
कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार),
नाहन, जिला सिरमौर (हि० प्र०)।

ब अदालत श्री आर० डी० हरनोट, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि० प्र०)

श्री भूमि प्रसाद पुत्र श्री हरी प्रसाद, निवासी शम्भूवाला नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि० प्र०)

बनाम

आम जनता

श्री भूमि प्रसाद पुत्र श्री हरी प्रसाद, निवासी शम्भूवाला नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि० प्र०) ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत आवेदन-पत्र प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसकी पुत्री पूनम की जन्म तिथि 8-12-1998 है, का नाम ग्राम पंचायत बनकला, तहसील नाहन, जिला सिरमौर के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 22-5-2015 को सुबह दस बजे अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करे। बसूरत दीगर पूनम की जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 22-4-2015 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

आर० डी० हरनोट,
कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार),
नाहन, जिला सिरमौर (हि० प्र०)।

Change of Name

I, Princeps Thakur s/o Shri Vijay Singh, Village Barog, Tehsil Sadar, District Bilaspur (H.P.) declare that I have changed my name Pankaj Kumar to Princeps Thakur. In future deponent known as Princeps Thakur.

PRINCEPS THAKUR
s/o Shri Vijay Singh,
Village Barog, Tehsil Sadar, District Bilaspur (H.P.).